दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 26, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

1. श्री ज्वाला प्रसाद उपाध्याय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
2. श्री रामनाथ, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-40-88-वि.क.-पांच (75) दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 5-5-90-पन्द्रह-1, दिनांक 2 मई, 1990 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री मूलचन्द खण्डेलवाल, राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भोपाल की 13 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री मूलचन्द खण्डेलवाल, राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री मोतीलाल वोरा, ललित जैन, आरिफ अकील, सदस्य, इन्दौर में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के विरूद्ध हिंसक प्रदर्शन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, डा. गोविन्द सिंह, श्री पूरन सिंह पलैया, सदस्य, भिण्ड एवं ग्वालियर जिले में किसानों को उर्वरक खाद न मिल पाने की ओर सहकारिता/कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के शासकीय केंसर अस्पताल की कोबाल्ट मशीन ठीक न हो पाने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले के रनगंवा बांध से सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मीनारायण यादव, धीरेन्द्र सिंह "धीरू", सदस्य, सतना जिले के ग्राम महतेन निवासी एक व्यक्ति की थानेदार द्वारा पिटाई किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री रमाकान्त तिवारी, जगदम्बा प्रसाद निगम, रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के अनेक ग्रामों में डकैती की घटित घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डा. गोविन्द सिंह, श्री गजराज सिंह सिकरवार, श्री रामानंद सिंह, सदस्य, छतरपुर में एक विधायक पर हुये हमले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, पचमढ़ी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पत्नी की चिकित्सा के अभाव में हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, होशंगाबाद के तवा बांध की उपनहरों से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री धनेश पटिला, दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम तलेन की एक बालिका से बलात्कार किये जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री सूबेदार सिंह, रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम निरारा में एक व्यक्ति का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, दुर्ग शहर में अतिक्रमण के नाम पर वैध कब्जों की तोड़फोड़ किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) चौधरी राकेश सिंह, डा. गोविन्द सिंह, श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डे, सदस्य, भिण्ड के एक न्यायाधीश पर अदालत में हुये हमले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, अनूप मिश्रा, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम खामखेड़ा में डकैती की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम, विक्रम सिंह यादव, उमाशंकर मुंजारे, सदस्य, टीकमगढ़ में मलेरिया रोग से सैकड़ों लोगों की हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, बस्तर में पेचिश से सैकड़ों आदिवासियों की हुई मृत्यु की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम टिकटौली में हरिजनों के साथ मारपीट की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री महेन्द्र बौद्ध, उदयप्रकाश मिश्र, रविन्द्र चौबे, सदस्य, दतिया में नकली खाद का विक्रय होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री राम बहादुर सिंह परिहार, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बिरयाई में पुलिस द्वारा झोपड़ियां जलाई जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल में दूध की कमी से हो रही परेशानी की ओर राज्य मंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के चंबल कैनाल से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 180, वारासिवनी से निर्वाचित सदस्य श्री के.डी. देशमुख को दिसम्बर, 1991 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री चन्द्र शेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का छब्बीसवां एवं सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अनूप सिंह मरावी, सदस्य, जिला जबलपुर के ग्राम बरगी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(2) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, जिला सतना तहसील अमरपाटन के ग्राम अहिरगांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 10+2 का दर्जा दिलाये जाने,

(3) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य जिला छतरपुर के जटाशंकर से बड़ागांव तक पहुंच मार्ग बनवाये जाने,

(4) श्री भागचन्द सोगानी, सदस्य-

(क) जिला गुना के ग्राम झिर पंचायत मुख्यालय तक सड़क निर्माण कराने,
(ख) जिला गुना के ग्राम झिर में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

(5) श्री राधेश्याम मांदलिया, सदस्य -

(क) जिला मन्दसौर के ग्राम संधारा में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कराये जाने,
(ख) जिला मन्दसौर के संधारा, क्षेत्र गंगद में हायर सेकेन्ड्री स्कूल को 10+2 में परिवर्तित कराये जाने एवं परीक्षा केन्द्र बनाये जाने,

(6) श्री हरीसिंह नरवरिया, सदस्य -

(क) जिला भिण्ड के ग्राम श्यामपुर हरोद लिलोई में सिंचाई हेतु लिलोई माईनर का गहरीकरण कराये जाने,
(ख) जिला भिण्ड तहसील मेंहगांव के ग्राम अरेलेकापुरा में पूर्व प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला के रूप में खोले जाने,

(7) श्री रामप्रकाश गर्ग, सदस्य-

(क) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम कुशली (लाहोरी) में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कराये जाने,
(ख) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम ककरहटा में हाई स्कूल खोलने,
(ग) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम कैमौरी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने,
(घ) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम पोड़ी राजघाट में जल प्रदाय कराये जाने,
(च) जिला जबलपुर के ग्राम सरोद में हाई स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
(छ) जिला जबलपुर के ग्राम बेलखाडू सरोद मार्ग पर डामरीकरण कराये जाने,
(ज) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम सकरा में हाईस्कूल भवन का निर्माण कराने,
(झ) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
(त) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम कैमोरी में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,
(ध) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम मनयारी के हिरण नदी पर पुल या रपटा निर्माण कराये जाने,
(द) जिला जबलपुर के विधान सभा क्षेत्र मझौली के ग्राम काकंरखेड़ा विरन्दपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य -

(क) जिला रायसेन के ब्लाक सांची के अंतर्गत ग्राम वासंखेड़ा पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(ख) भोपाल शहर के इस्लामपुरा क्षेत्र में सफाई और पानी की कमी व गन्दगी दूर करने,

(ग) भोपाल के अहमदाबाद क्षेत्र में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कराये जाने,
(घ) भोपाल क्षेत्र के ग्राम हथाईखेड़ा में सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) श्री प्रेमसिंह, सदस्य-

(क) जिला धार के ग्राम दन्तीगांव तहसील सरदारपुर में विद्युत एवं स्टेशन स्थापित कराये जाने,
(ख) जिला धार के ग्राम दन्तीगांव में पेयजल सुविधा नल व जल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(ग) जिला धार के ग्राम भैंसोला बदनावर में हाईस्कूल (10+2) के स्टाफ की पूर्ती करने,
(घ) जिला धार के ग्राम काक्षी बड़ौदा (बदनावर) में नल जल योजना प्रारंभ कराये जाने,
(च) जिला धार के ग्राम गरड़ाबद में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने,
(छ) जिला धार के ग्राम भैंसोला में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कराये जाने,
(ज) जिला धार के ग्राम भैंसोला में दमला नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(10) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य-

(क) जिला दुर्ग के सांकरा बंगला से जामगांव तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
(ख) जिला दुर्ग, व्ययवर्तन सिंचाई नाली का निर्माण कराये जाने,
(ग) जिला दुर्ग के ग्राम मड़वापथका से मुल्ले पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(घ) जिला दुर्ग के ग्राम बेलोदा में हाईस्कूल को (10+2) में परिवर्तित कराये जाने,
(च) जिला दुर्ग विकास खण्ड डोंडी के ग्राम बालोद में हाई स्कूल भवन का निर्माण कराने,
(छ) जिला दुर्ग विकास खण्ड बालोद के ग्राम दर्रीटोला में गंगरेल के नहर से नाली निकालकर जोड़े जाने, एवं
(ज) जिला दुर्ग विकासखण्ड डोंडी के ग्राम बेलोदा में आदिवासी प्रीमेट्रिक छात्रावास खोलने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. हरिजन कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री मुंशीलाल, हरिजन कल्याण मंत्री, दिनांक 4 जुलाई, 1991 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 493) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा (1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 29 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री सुधाकर बापट, राज्य मंत्री परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 30 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 घन्टा (1) प्रदेश में विद्युत उत्पादन तथा वितरण में गंभीर अवरोध से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

30 मि. (2) नये भोपाल के गैस पीड़ित क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की अपर्याप्तता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

11. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

30 मि. (शेष15 मि) (1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर दशा, नियमानुसार रखरखाव न होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने तथा प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

30 मि. (2) निजी उत्पादकों को विद्युत उत्पादन की अनुमति दिये जाने से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तथा राज्य के हितों को हानि पहुंचाने के संबंध में श्री धीरेन्द्र सिंह "धीरू", सदस्य चर्चा उठायेंगे.

12. प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 मि. (1) पंडातराई (बिलासपुर) जांच आयोग, बिलासपुर मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन पर चर्चा.

30 मि. (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का इकतीसवां, बत्तीसवां, एवं तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (क्रमशः दिनांक 1.4.1987 से 31.3.1988, दिनांक 1.4.88 से 31.3.89 तथा दिनांक 1.4.89 से 31.3.1990) पर चर्चा.

13. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 को वाणिज्यिक कर मंत्री, से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 514) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामानंद सिंह एवं श्रीमती नेहा सिंह सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल
दिनांक 16 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा